राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdadmn.cce@gmail.com Ph. NO. 0141-2702247 (O)

क्रमांकः एफ.1(11)पीएस / निकाशि / 2022 / 6395 दिनांकः 10.07.2023

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन किये जाने तथा वर्ष 2022 (1 जनवरी 2023) में अचल सम्पति विवरण (IPR) राज–काज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन नही किये जाने के कारण पदोन्नति से वंचित रहे निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को अचल सम्पति विवरण राज–काज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन किये जाने पर वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के प्रतिकूल उनके नाम के आगे अंकित तिथि से एतद् द्वारा नियमित रूप से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर निर्धारित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल नं0 एल–10 (L-10) में पदोन्नत किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (श्री / श्रीमती / सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन	आई.पी.आर. ऑनलाईन करने की तिथि	चयन तिथि
गैर अनुसूचित क्षेत्र				
1	प्रियंका गांधी	राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	28–06–2023	01–04–2023
2	रमेश चन्द्र यादव (अ0जा0)	राजकीय महाविद्यालय, करौली	28–06–2023	01–04–2023
3	राम कुमार वर्मा	राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ़	29–06–2023	01–04–2023

उक्त कार्मिक अपने पदोन्नत पदों को यथा आवश्यकता अस्थायी तौर पर क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेश तक यथावत कार्य करते रहेगें। पदोन्नत कार्मिकों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रभावी होगें। इनके पदस्थापन आदेश बाद में पृथक से जारी किये जायेगें। **पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगें।**

उपर्युक्त कार्मिक दिनांक 15–07–2023 तक अपने पदोन्नत पद पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेवें। इनकी कार्यग्रहण काल अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।

(सुनील शर्मा)
आयुक्त

क्रमांकः एफ.1(11)पीएस / निकाशि / 2022 / 6395 दिनांकः 10.07.2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. सम्बन्धित प्राचार्य– कृपया सम्बन्धित कार्मिकों की पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण की सूचना अथवा इनके द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में इनका पदोन्नति फॉरगो करने संबंधी प्रार्थना–पत्र निर्धारित अवधि में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को email -jdadmn.cce@gmail.com पर भिजवाये। उक्त सूची में सम्मिलित कार्मिक जो मूल पदस्थापन स्थान से अन्यत्र कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत हैं, को पदोन्नति पर मूल पदस्थापन महाविद्यालय / कार्यालय में कार्यग्रहण कराने के उपरांत उनके कार्य व्यवस्थार्थ महाविद्यालय / कार्यालय के लिए अविलम्ब कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करें।
3. संबंधित कार्मिक।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. स्थापना शाखा / रोकड़ शाखा।
6. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.08 0?:28:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4218920